जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 13.11.2024

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

- *थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6001 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल बालक को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6001 को थाना कोतावाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत रैना पेपर मिल से इवेंट सं0 50912 कालर ने मो0न0-9877687358 से कालर शिवम द्वारा अज्ञात वाहन द्वारा बाईक में टक्कर होने के कारण घायल बालक (अखिलेश साहनी पुत्र महेन्द्र साहनी ग्राम गुलाटीचक्र थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर वाहन दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को एम्बुलेंस 108 की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सुझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर वाहन दुर्घटना में घायल हुए बालक को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।
***पीआरवी स्टाफ-* हे0का0 संजय पाल, का0 विपिन मिश्रा, का0चा0 विश्वग्रहण।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 179 वाहनों से 2,04,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया
आज दिनांक 13.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 179 वाहनों से 2,04,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को 01 वर्ष के कारावास व कुल 1000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 13.11.2024 को ***ए0एस0जे0/एफटीसी द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना धनघटा* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 922/2017 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता निर्मल निषाद पुत्र हरिचरन निषाद निवासी तंजपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को मु0अ0सं0 13/24 थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अभियुक्त निर्मल निषाद को मु0अ0सं0 922/2017 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में 01 वर्ष के कारावास एवं 1000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने कि स्थिति में अभियुक्त को 05 दिवस कारावास में बिताना होगा। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में कारावास मे बिताई गयी अवधि को दण्डादेश के साथ समायोजित किया जाएगा। अभि0 निर्मल निषाद को अधिपत्र तैयार कर दण्ड भुगतने हेतु जिला करागार संतकबीरनगर प्रेषित किया जाए।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दुष्कर्म के मामलें में अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास व 51750 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 13.11.2024 को ***मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0 द्वितीय जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 363/2022 धारा 376,323, 504, 506 भादवि के मामलें में अभियुक्त नाम पता अभिषेक सिंह पुत्र स्व0 विजेन्द्र बहादुर सिंह निवासी गाजीपुर थाना गाजीपुर जनपद फतेहपुर को दोषसिद्धि किया जाता है। दोषसिद्धि अभिषेक सिंह को मु0अ0सं0 363/22 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के प्रकरण में अन्तर्गत धारा 376 भादवि 07 वर्ष की अवधि के कारावास एवं 50000 रु0 के अर्थदण्ड से, अन्तर्गत धारा 323 भादवि 03 माह के कारावास व 250 रु0 के अर्थदण्ड से, धारा 504 भादवि 06 माह के कारावास एवं 500 रु0 के अर्थदण्ड से तथा अन्तर्गत धारा 506 भादवि 01 वर्ष के कारावास एवं 1000रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा किये जाने की स्थिति मे सिद्धदोष को 03 माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अदा किये गये अर्थदण्ड कि आधी धनराशि अन्तर्गत धारा 357 सीआरपीसी पीड़ित को बतौर प्रतिकर अदा की जायेगी। समस्त सजाएं साथ साथ चलेंगी। प्रस्तुत प्रकरण में सिद्धदोष द्वारा पूर्व में कारावास में बितायी गयी अवधि को दण्ड के साथ समायोजित किया जाये।

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामलें में अभियुक्त को 03 वर्ष सश्रम कारावास व 5,000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनाँक 13.11.2024 को ***न्यायालय – ए0एस0जे0/एस0पी0जे0/पाक्सो एक्ट, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना मेंहदावल*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 164/2017 धारा 354,504, 506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट के मामलें में अभियुक्त नाम पता रविन्द्र पुत्र छांगुर यादव निवासी परसा चौबे थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर अभि0 रविन्द्र को आरोप अन्तर्गत धारा 354 भादवि व धारा 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत दोषसिद्ध किया जाता है, परन्तु अभि0 को उपरोक्त सत्र परीक्षण संख्या के मामले मे आरोप अन्तर्गत धारा 504,506 भादवि के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभि0 जमानत पर है। जमानतदारों के जमानतनामें व अभि0 के बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं। अभि0 रविन्द्र को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभि0 को धारा 354 भादवि के तहत 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। अभि0 को धारा 7/8 पाक्सो एक्ट भादवि के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। धारा 31 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध की उपरोक्त सभी सजायें साथ साथ चलेंगी। धारा 428 सीआरपीसी के तहत दोषसिद्ध के द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि को इस मामले में कारावास की अवधि से समायोजित किया जायेगा।